



वादीगण
सीता देवी वगैराह

बनाम

प्रतिवादीगण
रमेश कुमार वगैराह

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं. 13/2012

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ। |
|-------------|---|---|
| 20.09.2017 | <p>वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त है/भ्रमण पर है/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक <u>1-11-17</u> को पेश हो।</p> <p> उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत</p> | |
| 01.11.2017 | <p>माननीय न्यायालय अतिरिक्त निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक: टि.ए./निगरानी/2017/2689 दिनांक: 16.05.2017 द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध की गई राजस्व अपील रमेश कुमार बनाम सीता देवी वगैराह उक्त मूल राजस्व वाद संख्या 13/2012 सीता देवी बनाम रमेश कुमार वगैराह की पत्रावली चाही गई थी जो मूल पत्रावली इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:-कोर्ट/2017/884 दिनांक 11.09.2017 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जा चुकी हैं। मूल पत्रावली माननीय न्यायालय अतिरिक्त निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन होने से इस न्यायालय में पत्रावली के अभाव में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है, अतः पत्रावली नम्बर से कम हो। माननीय न्यायालय अतिरिक्त निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से निर्णय होकर पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली को पुनः दर्ज की जाकर अग्रिम कार्यवाही निर्णय माफिक की जावें। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सूचित किया जावें।</p> <p> उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p> | |